

बिहार सरकार
कृषि विभाग
भूमि संरक्षण निदेशालय।

पत्र सं०- 11/कृ.नि.भू.सं.(बजट)04/2014-

/भू०सं०, पटना, दि०

प्रेषक,

दुर्गेश नन्दन, बि०प्र०से०
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

भूमि संरक्षण अभियंता
भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय : गैर योजना मुख्य शीर्ष - 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष - 00, लघुशीर्ष -001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष - 0001 मुख्यालय स्थापना, मांग संख्या - 01, विपत्र कोड एन2402000010001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु बजट आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु कुल उपबंधित राशि 1,58,08,000/- (एक करोड अठावन लाख आठ हजार) में से 52,63,000.00 (बानव लाख तिरसठ हजार) रुपये मात्र को वित्त विभाग के पत्रांक 253 दिनांक 11.03.2014 के आलोक में को निम्न प्रकार से आवंटित किया जाता है :-

क्रम संख्या	विषय शीर्ष एव कोड		आवंटन
1	2		6
1	01 01	वेतन	2031000.00
2	01 03	जीवन यापन भत्ता	2071000.00
3	01 04	मकान किराया भत्ता	406000.00
4	01 05	परिवहन भत्ता	54000.00
5	01 06	चिकित्सा भत्ता	19000.00
6	01 07	अन्य भत्ता	5000.00
योग : -			4586000.00
7	06 01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	16000.00
8	11 01	यात्रा व्यय	33000.00
9	13 01	कार्यालय व्यय	66000.00
10	13 02	वाहन का इंधन एवं रख-रखाव	33000.00
11	13 03	दूरभाष	16000.00
12	13 05	विधि प्रभार	8000.00
13	13 06	वर्दी/पोशाक	10000.00
15	20 03	प्रशिक्षण व्यय	16000.00
16	28 01	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	80000.00
17	51 01	मोटर गाडी	399000.00
योग : -			677000.00
कुल योग : -			5263000.00

2. राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जाय।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।

4. कोड 0101 से 0107 में आवंटित राशि का विकलन सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पर पदस्थापित/सेवा निवृत्त कर्मियों के वेतनादि/बकाया भुगतान में ही किया जाय तथा किसी परिस्थिति में अतिरिक्त कर्मियों को भुगतान नहीं किया जाय। इसके निमित्त सम्बंधित निकासी व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

5. आवंटन से अधिक की निकासी किसी भी स्थिति में नहीं की जाय अन्यथा जिम्मेवारी आपकी होगी।

6. मासिक व्यय प्रतिवेदन (बिना टी0भी0नम्बर/टी0भी0नम्बर) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन
ह0/-
(दुर्गेश नन्दन)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :

भूमि संरक्षण, पटना, दिनांक

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/व सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :

भूमि संरक्षण, पटना, दिनांक

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 15 आक्टोबर

भूमि संरक्षण, पटना, दिनांक

7/5/2014

प्रतिलिपि : निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/व्यय प्रतिवेदन प्रभारी एवं लेखा शाख (मु0)/उप कृषि निदेशक (सूचना) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

6.5.11